

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222400
SG-DL-E-13102020-222400

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 161
No. 214]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942	[N. C. T. D. No. 161

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

(बाल संरक्षण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

फा.सं. 61(998)/एसएलएससी के सविधान/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2016/9412-26.— किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 की धारा 2 की उपधारा 59 के अन्तर्गत तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) मॉडल नियम 2016 के नियम 87 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय परिषद्, अध्यक्ष व सदस्य, बाल कल्याण समितियों की नियुक्ति के कार्य हेतु निम्नलिखित चयन समिति को बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2015 इस अधिसूचना के जारी होने के तीन वर्ष तक के लिए गठित करते हैं।

अध्यक्ष	माननीय श्री न्यायाधीश आर. के. गौबा (सेवा निवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय)
विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य सचिव	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रथम तल, ISBT बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली।

सदस्य के रूप में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	1. सुश्री एनाक्षी गांगुली प्रतिनिधि, हक फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, मालवीय नगर, नई दिल्ली। 2. श्री अजय कुमार लाल, प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प एन मास (SHE), डीडीए एचआईजी फ्लैट्स, ब्लॉक, 3ए /101ए, मोतिया खान, नई दिल्ली -110055
सदस्य के रूप में शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि	1. प्रो विवेक कुमार, प्रोफेसर समाजशास्त्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 2. डॉ धनंजय, फैकल्टी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस तथा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जी-70, यूजी-2, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि	श्री अनुराग कुंडू, अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5 वीं मंजिल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली

चयन समिति के कार्य और उत्तरदायित्व उक्त मॉडल नियम 2016 के नियम 88 के अनुसार होंगे।

चयन समिति प्रतिनिधि की बैठक में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित चार सदस्यों से कम नहीं होंगे।

दिल्ली राज्य सरकार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आदेश से,
मधु के. गर्ग, सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(CHILD PROTECTION UNIT)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2020

F. No. 61(998)/Constitution of SLSC/DD(CPU)/DWCD/2016/9412-26.—In exercise of powers conferred under Sub Section 59 of Section 2 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 read with Rule 87 of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model Rules, 2016, the State Government National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the following Selection Committee for selection of the Member Social Workers, Juvenile Justice Boards and Chairperson and Members, Child Welfare Committees under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 for the period of three years from the date of notification.

Chairperson	Mr. Justice R.K. Gauba (Retired Judge, Delhi High Court)
Department's nominee as Member Secretary	Director, Department of Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi, 1st Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.
Representatives from NGO as Members	1. Ms. Enakshi Ganguly, Representative, HAQ Centre for Child Rights, B-1/2, Malvivya Nagar, New Delhi 2. Mr. Ajay Kumar Lal, Representative, Self Help En Masses (SHE), DDA HIG Flats, Block, 3A/101A, Motia Khan, New Delhi-110055

Representatives of Academic Institutions as Members	1. Prof.Vivek Kumar, Professor of Sociology, Jawahar Lal Nehru University, Delhi 2. Dr.Dhananjay, Faculty UCMS & GTBH, G-70, UG-2, Dilshad Colony, Delhi
Representative of State Commission for Protection of Child Rights as Member	Mr. Anurag Kundu, Chairperson, Delhi Commission for Protection of Child Rights, 5 th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.

The functions of the Selection Committee shall be in accordance to Rule 88 of the aforesaid Model Rules, 2016.

The quorum of the meeting of the Selection Committee shall be not less than four Members including the Chairperson and the Member Secretary.

By Order of the State Government of the
National Capital Territory of Delhi,

MADHU K. GARG, Secy.